न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 2022/0260 दर्ज तिथिः–15.11.2022

1. सन्ताराम पुत्र रामपाल उम्र 64 साल
2. ईश्वरमल पुत्र रामपाल उम्र 55 साल
समस्त जातियान मीना निवासी क्यारा तहसील थानागाजी–अलवर।

.................प्रार्थी

बनाम

1. सरकार जर्ये तहसीलदार सहाब थानागाजी भू–स्वामी तहसील थानागाजी जिला अलवर।

..................अप्रार्थी

उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ताः– श्री आर के चौपडा।
अप्रार्थीः– पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136
राजस्थान भू–राजस्व अधि–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–09.05.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि हाल आराजी खसरा संख्या 31/1.92 है0, 32/0.13 है0, 33/0.67 है0 कुल किता 03 रकबा 2.72 है0 वाके ग्राम क्यारा तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त आराजी के साबिक खसरा संख्या का खातेदार प्रार्थीगण का पिता रामपाल पुत्र भरता था। साबिक जमाबंदी संवत्–2033, जमाबंदी संवत्–2037, जमाबंदी संवत्–2042 के अनुसार प्रार्थीगण के पिता व उसके भाई पांचा नानचा पुत्र भरता दर्ज रिकॉर्ड खातेदार है। परन्तु जमाबंदी संवत्–2046 में रामपाल का नाम चौसाला जमाबंदी से कलमजन कर केवल पांचा नानचा पिसरान भरता को खातेदार दर्ज रिकॉर्ड कर राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज कर दिया। प्रार्थी वर्तमान में अपने पिता के हिस्से पर काबिज काश्त है। इस प्रकार प्रार्थीगण का नाम हाल राजस्व जमाबंदी में इन्द्राज नहीं होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। अतः निवेदन है कि हाल आराजी खसरा संख्या 31/1.92 है0, 32/0.13 है0, 33/0.67 है0 कुल किता 03 रकबा 2.72 है0 वाके ग्राम क्यारा पर मुताबिक जमाबंदी संवत्–2033, जमाबंदी संवत्–2037, जमाबंदी संवत्–2042 के अनुसार प्रार्थी का खाता दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। हाल जमाबंदी संवत–2074–77 के खाता संख्या–57 पर दर्ज अन्य सहखातेदारो ने हाजिर

न्यायालय आकर प्रार्थीगण के अनुतोष पर सहमति प्रदान कर निवेदन किया कि हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण के पिता का नाम दर्ज कर हिस्सा 1/7 के स्थान पर 1/8 किया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई उज्र ऐतराज नहीं है। प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 31/1.92 है0, 32/0.13 है0, 33/0.67 है0 कुल किता 03 रकबा 2.72 है0 वाके ग्राम क्यारा पर मुताबिक जमाबंदी संवत्–2033, जमाबंदी संवत्–2037, जमाबंदी संवत्–2042 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे। अप्रार्थीगण को भी इस सम्बन्ध में कोई उज्र ऐतराज नहीं है।

4. मैनें प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2074–77 वाके ग्राम थानागाजी के नवीन खाता संख्या 57 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खातेदार	हिस्सा	जाति	खसरा संख्या	रकबा
उमाबाई पुत्री रामनाथ	1/7	मीणा	31	1.92 है0
चन्दी पत्नी रामनाथ	1/7		32	0.13 है0
प्रहलाद पुत्र रामनाथ	1/7		33	0.67 है0
रामबाई पुत्री रामनाथ	1/7			
नानछा पुत्र भरथा	1/7			
हरिया पुत्र रेवड	1/7			
पांचा पुत्र भरता	1/7			

5. प्रकरण में मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त संवत् 2060 वाके ग्राम क्यारा का प्रासंगिक राजस्व रिकॉर्ड का विवरण निम्न प्रकार है:–

बन्दोबस्त संवत् 2060			
खसरा हाल	रकबा	खसरा साबिक	रकबा
31	1.92 है0	30	07 बीघा 12 बिस्वा
32	0.13 है0	31	10 बिस्वा
33	0.67 है0	32	02 बीघा 13 बिस्वा

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2033 वाके ग्राम क्यारा के खाता संख्या 100 का विवरण निम्न प्रकार है:–

खाता	खातेदार	आराजी खसरा संख्या	रकबा
100	रामनाथ पुत्र रामधन रेवड **<u>रामपाल</u>** पांचा नानछा पिसरान भरता जाति मीणा साकिन देह		07 बीघा 12 बिस्वा
		31	10 बिस्वा
			02 बीघा 13 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार जमाबंदी संवत् 2033 वाके ग्राम क्यारा के खाता संख्या 100 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पिता रामपाल रेवड पांचा नानचा पिसरान भरता साबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थन पत्र में वर्णित आराजी के दर्ज रिकॉर्ड खातेदार रहे है। मुताबिक सह खातेदारान रामपाल रेवड पांचा नानचा पिसरान भरता में से रेवड पिसर भरता लावल्द फोत होना बताया। अतः उक्त आराजी केवल रामपाल पांचा नानचा पिसरान भरता के नाम मुताबिक जमाबंदी संवत् 2037 वाके ग्राम क्यारा दर्ज रिकॉर्ड की गई।

7. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2037 वाके ग्राम क्यारा के खाता संख्या 110 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता	खातेदार	आराजी खसरा संख्या	रकबा
110	रामनाथ पुत्र रामधन **रामपाल** पांचा नानचा पिसरान भरता हिस्सा 1/9 जाति मीणा साकिन देह	30	07 बीघा 12 बिस्वा
		31	10 बिस्वा
		32	02 बीघा 13 बिस्वा

इस प्रकार जमाबंदी संवत् 2037 वाके ग्राम क्यारा के खाता संख्या 110 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पिता रामपाल साबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थन पत्र में वर्णित आराजी के दर्ज रिकॉर्ड खातेदार रहे है। साथ ही मुताबिक सह खातेदारान रामपाल रेवड पांचा नानचा पिसरान भरता में से रेवड पिसर भरता लावल्द फोत होना बताया। अतः उक्त आराजी केवल रामपाल पांचा नानचा पिसरान भरता के नाम मुताबिक जमाबंदी संवत् 2037 वाके ग्राम क्यारा दर्ज रिकॉर्ड की गई।

8. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2042 वाके ग्राम क्यारा के खाता संख्या 107 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता	खातेदार	आराजी खसरा संख्या	रकबा
107	रामनाथ पुत्र रामधन रेवड **रामपाल** पांचा नानचा पिसरान भरता हिस्सा 1/9 जाति **मीना** साकिन देह	30	07 बीघा 12 बिस्वा
		31	10 बिस्वा
		32	02 बीघा 13 बिस्वा

इस प्रकार जमाबंदी संवत् 2042 वाके ग्राम क्यारा के खाता संख्या 107 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पिता रामपाल साबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थन पत्र में वर्णित आराजी के दर्ज रिकॉर्ड खातेदार रहे है।

9. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2042 वाके ग्राम क्यारा के खाता संख्या 113 का विवरण निम्न प्रकार हैः–

खाता	खातेदार	आराजी खसरा संख्या	रकबा
113	रामनाथ पुत्र रामधन रेवड पांचा नानचा पिसरान भरथा हिस्सा 1/9 जाति **मीना** साकिन देह	[illegible]	07 बीघा 12 बिस्वा
		31	10 बिस्वा
		32	02 बीघा 13 बिस्वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार जमाबंदी संवत् 2046 वाके ग्राम क्यारा के खाता संख्या 113 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पिता रामपाल का नाम जमाबंदी संवत् 2042 से बनाई गई चौसाला जमाबंदी संवत्–2046 पर कलमजन कर केवल पांचा नानचा पिसरान भरथा के नाम खातेदारी इन्द्राज कर दिया।

10. इसके साथ ही प्रकरण में तहसीलदार थानागाजी की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका विवरण इस प्रकार हैः–

- *उक्त प्रार्थना पत्र में आवेदित तथ्यों/शुद्धियों के संबंध में हाल जमाबंदी के अन्य खाता संख्या–84 में नाम दर्ज है।*
- *प्रार्थना पत्र में आवेदित खातेदार जमाबंदी संवत्–2042 में रामपाल पुत्र भरथा हिस्सा–1/8 जाति मीना दर्ज रिकॉर्ड है। अतः हाल जमाबंदी संवत्–2074–77 के खाता संख्या 57 में रामपाल पुत्र भरथा हिस्सा–1/8, नानछा पुत्र भरथा हिस्सा–1/8, पांचा पुत्र भरथा हिस्सा–1/8, हरिया पुत्र रेवड हिस्सा–1/8, उमाबाई पुत्री रामनाथ हिस्सा–1/8, रामबाई पुत्री रामनाथ हिस्सा–1/8, प्रहलाद पुत्र रामनाथ हिस्सा–1/8, चन्दी पत्नी रामनाथ हिस्सा–1/8, जाति मीना समस्त हाल रिकॉर्ड में दुरूस्ती किया जाना उचित है।*

11. उक्त विश्लेषण के अनुसार स्पष्ट है जमाबंदी संवत् 2033 वाके ग्राम क्यारा के खाता संख्या 100, जमाबंदी संवत् 2037 वाके ग्राम क्यारा के खाता संख्या 110, जमाबंदी संवत् 2042 वाके ग्राम क्यारा के खाता संख्या 107 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पिता रामपाल साबिक राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थन पत्र में वर्णित आराजी के दर्ज रिकॉर्ड खातेदार रहे है। परन्तु जमाबंदी संवत् 2046 वाके ग्राम क्यारा के खाता संख्या 113 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के पिता रामपाल का नाम जमाबंदी संवत् 2042 से बनाई गई चौसाला जमाबंदी संवत्–2046 पर कलमजन कर केवल पांचा नानचा पिसरान भरथा के नाम खातेदारी इन्द्राज कर दिया। इस प्रकार राजस्व कार्मिकों द्वारा साबिक रिकॉर्ड के मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड इन्द्राज कायम नही कर त्रुटि किया जाना प्रतीत होता है। इस बाबत प्रार्थीगण के सह–खातेदारों ने भी सहमति प्रदान की है। साथ ही तहसीलदार थानागाजी की मौका रिपोर्ट से भी प्रार्थीगण के अनुतोष के समान जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के हाल राजस्व रिकॉर्ड में साबिक जमाबंदी संवत्–2033, जमाबंदी संवत्–2037, जमाबंदी संवत्–2042 तथा तहसीलदार थानागाजी की मौका रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। इसके साथ ही साबिक रिकॉर्ड जमाबंदी संवत्–2042 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की जाति **मीना** है जबकि हाल राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति **मीणा** अंकित है जो कि काबिल–ए–दुरूस्त है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबिक राजस्व रिकॉर्ड व तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956, साबिक जमाबंदी संवत्–2033, जमाबंदी संवत्–2037, जमाबंदी संवत्–2042 व प्रार्थीगण के सह खातेदारों की सहमति तथा तहसीलदार थानागाजी की मौका रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 31/1.92 है0, 32/0.13 है0, 33/0.67 है0 कुल किता 03 रकबा 2.72 है0 वाके ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested

क्यारा तहसील थानागाजी पर विक्रेता हाल राजस्व इन्द्राज के बनिस्पत **रामपाल पुत्र भरथा हिस्सा–1/8, नानछा पुत्र भरथा हिस्सा–1/8, पांचा पुत्र भरथा हिस्सा–1/8, हरिया पुत्र रेवड हिस्सा–1/8, उमाबाई पुत्री रामनाथ हिस्सा–1/8, रामबाई पुत्री रामनाथ हिस्सा–1/8, प्रहलाद पुत्र रामनाथ हिस्सा–1/8, चन्दी पत्नी रामनाथ हिस्सा–1/8,** तथा हाल जाति संबंधी इन्द्राज **मीणा** को कलमजन कर जाति संबंधी इन्द्राज पर **मीना** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 09.05.2023 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी (अलवर)

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.15 19:44:04 IST
Reason: SelfAttested